

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

(शुद्धि - पत्र)

विभागीय आवंटन आदेश सं0 79/आ0प्र0, दिनांक-14.01.2013 के ज्ञापांक में
“प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी,
खगड़िया, मधुबनी, पू0 चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर,
भागलपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, सारण, नालन्दा, प0
चम्पारण, पूर्णियां, अररिया, शेखपुरा, किशनगंज, भोजपुर, लखीसराय” अंकित है
जिसमें “ प्रतिलिपि: सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार” पढ़ा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राजीव कुमार सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ
प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-187/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 15/1/13

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ आई0 टी0 मैनेजर/ प्रशाखा
पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
आवंटन की 5 (पांच) प्रति कार्यवाह सहायक को उपलब्ध करा दी जाय।

अपर सचिव